संख्या– 2438 / 22–1–2008–2 / 2008

प्रेषक,

डी0 एस0 शर्मा,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 18 जुलाई, 2008

विषयः–कारागारों में तैनात कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में स्थानान्तरण नीति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–11922 / स्थानान्तरण नीति, दिनॉक 22.05.08 के संदर्भ में कारागार विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं, संवेदनशीलता एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत सामान्य स्थानान्तरण नीति के अनुसार कार्यवाही करना संभव न होने के कारण स्थानान्तरण सत्र 2008–09 के लिए कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्त कार्मिकों के लिए शासन द्वारा निर्धारित की गयी निम्न नीति से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ हैः–

1. विभिन्न स्तर के कर्मियों की कारागार मे तैनाती की अधिकतम अवधि निम्नानुसार होगी। इससे अधिक अवधि तक किसी कार्मिक को तैनात नहीं रखा जायेगा तथा प्रशासनिक आधार पर किसी भी कारागार कर्मी को किसी भी समय कहीं भी तैनात किया जा सकता हैः–

क्र0	पदनाम	एक कारागार में तैनाती की अवधि	एक स्थान में समस्त कारागारों में कुल तैनाती की अवधि
1–	अधीक्षक कारागार	03 वर्ष	04 वर्ष
2–	कारापाल / उपकारापाल	04 वर्ष	06 वर्ष
3–	प्रधान बंदीरक्षक / बंदीरक्षक	06 वर्ष	08 वर्ष
4–	पैरामेडिकल स्टाफ / फार्मेसिस्ट	06 वर्ष	08 वर्ष
5–	कार्यालय कर्मी (आशुलिपिक मिनिस्टिरियल स्टाफ व वाणिज्यिक स्टाफ)	08 वर्ष	12 वर्ष

विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरण सत्र में उपर्युक्त समय सीमा शिथिल करते हुये सक्षम स्तर से स्थानान्तरण किये जा सकेगें।

2. (क) अधीक्षक कारागार को उनके गृह जनपद एवं गृह जनपद के सीमावर्ती जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा। (ख) कारापाल एवं उपकारापाल एवं फार्मेसिस्ट संवर्ग के किसी भी अधिकारी / कर्मचारी को उसके गृह जनपद एवं गृह जनपद के सीमावर्ती जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा। (ग) मुख्य प्रधान बंदीरक्षक, पुरूष प्रधान बंदीरक्षक, पुरूष बंदीरक्षक संवर्ग

.....2

के कार्मिको को उसके गृह जनपद अथवा सीमावर्ती जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा।
(घ) समूह "ख" एवं "ग" के 02 वर्ष के अन्दर सेवानिवृत्ति होने वाले कार्मिकों को,गृह जनपद एवं सीमावर्ती जनपद को छोडते हुये उनकी इच्छित जनपद में तैनात करने पर विचार किया जाय बशर्ते कि उनके विरूद्व अन्यथा तथ्य विद्यमान न हो।

3. वार्षिक स्थानान्तरण सत्र में स्थानान्तरण हेतु सक्षम प्राधिकारी निम्नवत होगे :—

क्रमांक	कार्मिको की श्रेणी	सक्षम प्राधिकारी	अधिकारिता की सीमा
1—	प्रधान बंदीरक्षक / बंदीरक्षक एवं समतुल्य।	परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार	परिक्षेत्र की किसी भी कारागार में।
2—	उपकारापाल / कारापाल एवं समतुल्यं एवं निम्न श्रेणी के कार्मिक	महानिरीक्षक कारागार	उत्तर प्रदेश की किसी कारागार में।

4. शेष शर्ते कार्मिक विभाग द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—1 / 3 / 96—का—4—2008, दिनॉक 15.05.08, सपठित शासनादेश संख्या—1 / 3 / 96—का—4—2008, दिनॉक 17.05.08 एवं समय—समय पर जारी सामान्य आदेशों / स्थानान्तरण नीति से आच्छादित रहेगीं।

भवदीय

(डी0 एस0 शर्मा,)
विशेष सचिव।

पृ0 संख्या— 2438(1) / 22—1—2008तददिनांक,

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल जी।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव / मंत्रिमण्डलीय सचिव, उ0प्र0 ।
4. प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा, उ0प्र0।
5. निदेशक, सूचना, उ0प्र0 लखनऊ।
6. विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7. समस्त उप महानिरीक्षक कारागार / वरिष्ठ अधीक्षक कारागार।
8. सचिव, कार्मिक अनुभाग—4, उ0प्र0 शासन।
9. कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग—2 / 3 / 4
10. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र उत्तम)
उप सचिव।